



कार्यालय, परियोजना निदेशक आत्मा, जामताड़ा।

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

e-Mail Id-atmajmt@gmail.com

(किसान भाईयों के लिए आवश्यक सूचना)

“पहले आओ पहले पाओ के आधार पर”

वित्तीय वर्ष 2024-25 में Food and Nutrition Security (Krishonnati Yojna)- Coarse Cereals

योजनान्तर्गत अनुदानित दर पर कृषि यंत्र एवं उपादान वितरण के लिए कृषकों से आवेदन प्राप्ति हेतु सूचना:-

जामताड़ा जिले के कृषकों को सूचित किया जाता है कि कृषि कार्य को बढ़ावा देने बहु फसलीय कृषि का विकास एवं छोटे इकाई वाले क्षेत्रों के विकास के लिए सिंचाई एवं कृषि उपादान छोटे एवं सीमान्त कृषकों/स्वयं सहायता समूहों/कृषक समूहों को अनुदान पर उपलब्ध कराया जाना है जिसमें निम्नलिखित पात्रता एवं शर्तों के साथ आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है-

Food and Nutrition Security (Krishonnati Yojna)- Coarse Cereals

Sl No.	Interventions	Approved rate of assistance	Phy.
1	Soil Management		
(i)	Micronutrients	Rs. 500/ha.or 50% of cost whichever is less	45
(ii)	Bio- Fertilizer	Rs. 300/ha.or 50% of cost whichever is less	75
	Sub Total		120
2	Plant Protection Management		
(i)	Plant Protection Chemicals & Bio-Pesticides	Rs. 500/ha.or 50% of cost whichever is less	70
(ii)	Weedicides	Rs. 500/ha.or 50% of cost whichever is less	20
	Sub Total		90
3	Primary Processing equipments		
(i)	Maize Sheller for SC/ ST Small & Marginal farmers, Women and NE States beneficiary	Rs. 10000/-per unit or 50% of Cost whichever is less	2
	Maize Sheller for other farmers	Rs. 8000/-per unit or 40% of Cost whichever is less	1

आवेदन पत्र जमा करने हेतु आवश्यक निदेश:-

- आवेदन पत्र पर प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक एवं त्रिस्तरीय जन प्रतिनिधि की अनुशंसा अनिवार्य होगा।
- इस योजना का लाभ वैसे किसान ले सकेंगे जो पिछले तीन वर्षों में सरकारी किसी भी संस्थान से कृषि यंत्र का लाभ न लिया हो।
- पूर्ण रूपेण भरे हुए आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक-10.07.2024 तक कार्यदिवस में पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक स्वीकार किये जा सकेंगे। 10.07.2024 के पश्चात किसी भी परिस्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- विहित प्रपत्र Website- <https://www.atmajamtara.org.in/> प्राप्त किया जा सकता है।
- Food and Nutrition Security (Krishonnati Yojna)- Coarse Cereals अन्तर्गत राज्य स्तर से आवंटन प्राप्त होने के उपरांत अनुदान की राशि DBT के माध्यम से लाभुक/लाभुक द्वारा प्राप्त आवेदन के आधार में संबंधित कम्पनी के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जायेगा।
- आवेदन के साथ आधार कार्ड, जमीन रसीद, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ, संलग्न किया जाएगा।
- अनुदानित दर पर Input लेने वाले कृषकों को प्राथमिकता के आधार पर कृषि यंत्र वितरण किया जाएगा।
- विशेष जानकारी के लिए अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक से सम्पर्क किया जा सकता है।
- आवंटित प्रखण्डवार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पहले आओ पहले पाओ के अनुसार इन्पुट एवं कृषि यंत्र का वितरण किया जायेगा।
- अनुदानित दर पर इन्पुट एवं कृषि यंत्र के वितरण में FPOs/JSLPS/जलछाजन के सदस्यों/कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी।

कार्यालय का पता-परियोजना निदेशक आत्मा, जामताड़ा, संयुक्त जिला कृषि कार्यालय, सर्खलडीह, जामताड़ा।

जिला कृषि पदाधिकारी सह
परियोजना निदेशक, आत्मा, जामताड़ा।